न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 57/2016

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. श्रीमति जमनी पत्नी श्री जयराम
2. जगदीश पुत्र श्री जयराम
3. पूरणमल पुत्र श्री जयराम
4. बसन्ती पुत्री श्री जयराम
5. सीता पुत्री श्री जयराम
6. छगना पुत्र श्री मूला
7. धन्नी पत्नि श्री रामचन्द्र
8. देवकरण पुत्र श्री रामचन्द्र
9. हीरालाल पुत्र श्री रामचन्द्र
10. रामस्वरूप पुत्र श्री कल्याण

समस्त जाति कहार निवासीगण धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-----प्रार्थीगण

♠बनाम♠

1. देवी पुत्र श्री रामा
2. रतन पुत्र श्री रामा
3. पप्पू पुत्र श्री रामा
4. लाडा पुत्री श्री रामा
5. शान्ति पुत्री श्री रामा
6. काली पुत्री श्री रामा

समस्त जाति कहार निवासीगण धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

7. राज0 सरकार तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

------अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री रामसिंह राठौड वकील प्रार्थीगण
2. श्री हेमन्त जैन वकील अप्रार्थीगण

लोक अदालत
साथ अपके द्वार 2018

निर्णय

दिनांक 01/05/2018

प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए,209 राज. काश्तकारी अधिनियम के साथ अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम धूनधरी तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत 2069—72 के खाता नम्बर 223 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2230 रकबा 0.33 है. खसरा नम्बर 2231 रकबा 0.25 है. खसरा नम्बर 2232 रकबा 0.32 है कुल किता 3 कुल रकबा 0.90 है. जिसमें आराजी खसरा नम्बर 2230 में नवीन चाह का नामा संख्या 3003 दिनांक 18.02.2013 से हो रखा है। उक्त नवीन चाह के खसरा नम्बर 2230/1 रकबा 0.01 हैक्ट है। वादग्रस्त भूमि पुस्तेनी आराजीयात है। वादग्रस्त आराजी पूर्वजों के समय से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में सामलाती खाते में दर्ज है किन्तु वादग्रस्त आराजी का मौके पर सहमति से बटवारा कर अलग—अलग खेत बांट रखे है जिन पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहें है। सहमति बटवारे अनुसार प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी प्रार्थीगण 1 से 10 के कब्जे काश्त में चली आ रही है किन्तु अप्रार्थीगण 1 से 6 प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी को बैचान आदि कर खुर्द बुर्द कर प्रार्थीगण को बेदखल करने की एलानिया धमकियां देते है जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

हमने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 11.09.2017 को श्री हेमन्त जैन एडवोकेट ने पावर पेश किया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु समय दिया गया किन्तु अप्रर्थीगण ने कोई जवाब आदि पेश नही किया जिससे अप्रार्थीगण का जवाब बन्द कर प्रकरण में बहस सुनी गई। विवरण निम्न प्रकार है–

बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र वर्णित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम धूनधरी तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के खाता नम्बर 223 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2230 रकबा 0.33 है. खसरा नम्बर 2231 रकबा 0.25 है. खसरा नम्बर 2232 रकबा 0.32 है कुल किता 3 कुल रकबा 0.90 है. जिसमें आराजी खसरा नम्बर 2230 में नवीन चाह का नामा संख्या 1063 दिनांक 18.02.2013 से हो रखा है। उक्त नवीन चाह के खसरा नम्बर 2230/1 रकबा 0.01 हैक्ट है। वादग्रस्त भूमि पुस्तेनी आराजीयात है। वादग्रस्त आराजी पूर्वजों के समय से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में सामलाती खाते में दर्ज है किन्तु वादग्रस्त आराजी का मौके पर सहमति से बटवारा कर अलग–अलग खेत बांट रखे है जिन पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहें है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा आराजी को खुर्द बुर्द करने की एलानिया धमकिया देते है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना है जो अनगिनत होगी तथा अन्य कठिनाईयों का सामना करना पडेगा तथा वाद प्रार्थनापत्र पेश करने का ओचित्य ही खत्म हो जायेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर के जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 223 में दर्ज आराजी खसरान नम्बर कुल किता 26 कुल रकबा 4.46 है. में से मात्र 3 खसरा नम्बर जो 2230,2231,2232 तथा खसरा नम्बर 2230 में से नवीन चाह के खसरा नम्बर 2230/1 पर ही वाद प्रार्थनापत्र पेश किया है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा इसी न्यायालय में एक प्रकरण जो मुकदमा नम्बर 128/2015 देवी वगै. बनाम देवकरण वगै. के नाम से विचाराधीन है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण खसरा नम्बर कुल किता 26 कुल रकबा 4.46 है. पर वाद प्रार्थनापत्र पेश किया है जो वर्तमान में विचाराधीन है तथा आज ही की पेशी में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दोनो के प्रार्थनापत्र. स्वीकार कर उभयपक्षों को पाबन्द किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। दोनो प्रकरण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थनापत्र ग्राम धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 223 पर पेश किये गये है। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज होना पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र प्रेमापेशाई होना पाया जाता है तथा प्रर्थनापत्र का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 212 राज. काश्तकारी अधि. का ग्राम धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर के खसरा नम्बर 2230, 2231, 2232 व नवीन चाह के खसरा नम्बर 2230/1 कुल रकबा 0.90 है. के बाबत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे तावाद विचाराधीन होने तक प्रार्थीगण की हिस्से की आराजी में उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें ना ही बैचान आदि करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01/05/2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व लोक अदालत न्याय अपके द्वार 2018

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)